संख्या- 38 /2025/ 336 /चार-2025-1781659

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2025**

विषय:- भारत – नेपाल मैत्री महोत्सव - 2024-25 के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4931/सं0नि0-15(78)/2022-23(2), दिनांक 13 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2024-25 के आयोजन हेतु जनपदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराते हुए अनुमानित धनराशि रूपये 185.91 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2024-25 के आयोजन पर निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु रूपये 185.91 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चासी लाख इक्यानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र.	जनपद का नाम	अवधि	धनराशि (रू० में)
1.	सिद्धार्थनगर	05-07 फरवरी, 2025	43.78 लाख
2	महाराजगंज	11 फरवरी, 2025	15.91 लाख
3.	कुशीनगर	13 फरवरी, 2025	14.21 लाख
4.	बलरामपुर	15 फरवरी, 2025	15.81 लाख
5.	श्रावस्ती	17 फरवरी, 2025	15.56 लाख
6.	बहराइच	19 फरवरी, 2025	15.81 लाख
7	लखीमपुर खीरी	21 फरवरी, 2025	15.41 लाख
8	पीलीभीत	22-23 फरवरी, 2025	34.62 लाख
9.	नुक्कड नाटक (समस्त 08 जनपदों में पाँच-पाँच स्थानों पर)		5.00 लाख
10.	भारत-नेपाल सांस्कृतिक यात्रा हेतु बस पर व्यय (19 दिवस, ब्रान्डिंग सहित)		4.80 लाख
11.	फोटोग्राफी/क्विज/पेंटिंग प्रतियोगिताएं/कार्यशालाएं /संगोष्ठी		5.00 लाख
कुल योग (रूपया एक करोड़ पचासी लाख इक्यानबे हजार मात्र)			**185.91 लाख**

3. प्रतिबन्ध/ शर्तें:-

(1) कलाकारों के मानदेय का भुगतान संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(7) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26, नवम्बर, 2024 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में ई- टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(10) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(11) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) संस्कृति निदेशालय द्वारा कार्यक्रमों का विवरण, फोटो/ वीडियो एवं व्यय संबंधी सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जायें एवं पोस्ट आडिट भी कराना सुनिश्चित किया जाय।

(14) भारत – नेपाल मैत्री महोत्सव - 2024-25 के आयोजन के संबंध में शासनादेश संख्या- 162/चार-2025-1781659 दिनांक 21 जनवरी, 2025 द्वारा दिये गये दिशा- निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-05- नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों/ महोत्सवों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 38 /2025/ 336 (1)/चार-2025-1781659 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर/ महाराजगंज/ कुशीनगर/ बलरामपुर/ श्रावस्ती/ बहराईच/ लखीमपुर खीरी/ पीलीभीत।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in